सीताराम बनाम भोडा देवी वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	मु.न.० – 197/1998	
19.06.2018	पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– महरोली के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण वर्ष 1998 से न्यायालय में लम्बित चला आ रहा है तथा प्रकरण में अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 की ओर से दिनांक 17.05.2001 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश हो चूका है। प्रकरण दिनांक 06.06.2001 से अन्तिम बहस में लम्बित चल रहा है। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 03.08.1999 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चूकी है। प्रकरण में गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रकरण का मूल वाद पत्र के निस्तारण तक निर्णय किया जाना उचित समझता हूँ। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर प्रकरण में उभय पक्षकारान् को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 15.09.1998 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत विवादित आराजियात् भूमि खसरा नम्बर 2931, 2932, 2933, 2934 कुल किता 4 कुल रकबा 1.07 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर को मूल वाद पत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर किया जावे। यह निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प–महरोली के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (ब्रहम लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–महरोली	

Scanned by CamScanner